राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता
(रायपुर) देहरादून, उत्तराखण्ड 248008

Website: www.gpgcraipur.ac.in Email ID- raipurgdc@gmail.com

छात्र संघ चुनाव हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायलय के दिशा–निर्देश एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों की अनुपालन में लागू आचार संहिता का सार संक्षेप

1. लिंगदोह समिति के अनुसार कोई भी विद्यार्थी छात्र संघ पदाधिकारी के पद पर केवल एक बार चुनाव लड़ सकता है। किन्तु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पुनः एक बार अन्य पद हेतु चुनाव लड़ सकता है।
2. प्रत्याशियों द्वारा छात्र संघ चुनाव प्रचार–प्रसार केवल महाविद्यालय परिसर तक ही सीमित रहेगा।
3. प्रत्याशी चुनाव प्रचार में रू0 25000 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) अधिकतम राशि व्यय कर सकेगा।
4. प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय का अंकेक्षित ब्यौरा चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर अनिवार्य रुप से निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। व्यय का ब्यौरा समय से जमा न करने पर उस पदाधिकारी/कार्यकारिणी सदस्य/विश्वविद्यालय छात्र संघ प्रतिनिधि का पद निरस्त कर दिया जाएगा।
5. चुनाव प्रत्याशी व उनके सहयोगी संगठन द्वारा जनता, व्यापारियों, दुकानदारों या अन्य से चन्दा वसूली पर कानूनी प्रतिबंध रहेगा। ऐसा किया जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
6. चुनाव अवधि में सार्वजनिक व निजी, परिसरों, भवनों, प्रतिष्ठानों आदि की दीवारों व बोर्डों पर पोस्टर, विज्ञापन, पेम्पलेट एवं बैनर आदि लगाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
7. महाविद्यालय परिसर में हथियार (चाकू, तलवार, डण्डा) आदि सामग्री लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
8. छात्र संघ चुनाव संबधी किसी भी नियम के उल्लंघन पर सबंन्धित प्रत्याशी/पदाधिकारी को चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
9. आचार संहिता के नियम को तोड़ने वाले प्रत्याशी को अगले दो वर्ष तक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्याशी को उस वर्ष की परीक्षा से भी वंचित किया जाएगा।
10. चुनाव के दौरान दुर्व्यवहार करते पाये जाने वाले अभ्यर्थी को दण्डित किया जा सकेगा।
11. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये निश्चित स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव से संबधित हस्तलिखित पैम्पलेट ही मान्य है, पोस्टर विज्ञापन या नारे लिखने पर प्रतिबंध है।
12. यदि कोई व्यक्ति जीते हुए अभ्यर्थी को हटाने के लिए झूठे तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत करेगा तो ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा और नियमानुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी।
13. यदि कोई मुद्रक, प्रकाशन, पेन्टर या अन्य व्यक्ति झूठे प्रमाण/तथ्यों के आधार पर विजयी पदाधिकारी को हटाने में सहयोग करेगा तो उस पर भी मुकदमा/कार्यवाही की जा सकेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशो एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अक्षरशः पालन छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके सहयोगियों को करनी अनिवार्य होगा। आचार संहिता में उल्लिखित किसी भी निर्देश की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी का कदाचार माना जाएगा तथा उसके विरुद्व राज्य सरकार द्वारा गठित निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा आचार संहिता के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी एवं पुलिस में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराये जा सकेंगे।
14. पोलिंग बूथ पर मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जिसके पास निर्वाचन कार्यालय अथवा संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का पास नहीं होगा प्रवेश नहीं कर सकेगा। निर्वाचन कार्यालय निष्पक्ष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकता है। किसी भी आपत्ति पर पर्यवेक्षक को सूचित करना होगा।
15. प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि/कार्यों मे लिप्त नहीं रहेगा/रहेगी जो भ्रष्ट आचरण, उत्पीड़न एवं अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत है।
16. छात्र संघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया (Academic Arrears) चुनाव लड़ने के वर्ष में नहीं होना चाहिए।

17. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी चाहिए।
18. उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए अर्थात् वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचार के लिए विचारित (tried) और/या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो। यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नही किया गया हो।
19. कोई भी उम्मीदवार ऐसी प्रकिया/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, न ही ऐसी किसी क्रिया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढ़ावा दे या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे।
20. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यो तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेगें जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से सम्बंधित नहीं हो असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।
21. मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जाएगी। पूजास्थल चाहे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हो, चुनाव प्रचार हेतु इस्तेमाल नहीं किए जायेगें।
22. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/कार्यो में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार–प्रसार या Use of Propaganda, चुनाव के आखिरी घण्टे के पूर्व समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रो पर लाना और वापिस छोड़ना आदि।
23. किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।
24. प्रचार हेतु लाउड स्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषेध है।
25. महाविद्यालय द्वारा छात्र संघ चुनाव सबंधी सभी शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। शिकायतकर्ता विद्यार्थी चुनाव परिणाम घोषित होने के तीन हफ्ते के भीतर अपने नाम से शिकायत दर्ज करवा सकता है।
26. उम्मीदवार लिखित अनुमति लेकर महाविद्यालय परिसर में कक्षाओं को व्यवधान पहुंचाए बिना रैलियां निकाल सकते है।

नोटः– मतदान प्रकिया एवं मतगणना प्रकिया के दौरान महाविद्यालय परिसर में मोबाईल एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

RY

मुख्य निर्वाचन अधिकारी